

1892  
09/05/18

अनुवाद

<p>मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन सी.आइ.जी.मार्ग, नईदिल्ली-110002</p>		<p>HEADQUARTERS EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PANCHDEEP BHAWAN C.I.G. ROAD, NEW DELHI-110002</p>
---	---	---

सं. डी-12/16/1/2017-स्था. 6-खंड.1

दिनांक: 03/05/2018

सेवा में,

260  
9-5-18

1. बीमा आयुक्त (रा. प्र. अ.)/सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक।
2. नि.(चि.)दिल्ली/नि.(चि.)नोएडा/व.रा.चि. आयुक्त/क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पतालों/व्यवसायिक रोग केंद्रों के चिकित्सा अधीक्षक।
3. निदेशक-V/वित्त एवं लेखा शाखा III, मुख्यालय।

विषय: क.रा.बी. निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना, 2006-कटिनाइयों के निवारण के संबंध में। महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अनुदेश सं. डी-12/16/1/2003-स्था-VI, दिनांक 27.06.2008 के अनुसार क.रा.बी. निगम पी एम एस-2006 के अंतर्गत, पूर्व निर्धारित तीन माह के स्थान पर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर योजना का सदस्य बनने का विकल्प दिया गया था।


अब, क.रा.बी. निगम -पी एम एस-2006 के नियम 9 का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक ने योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया है:-

1. पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति पर तुरंत अथवा उसके पश्चात किसी भी समय क.रा.बी. निगम-पी एम एस-2006 से जुड़ सकता है।
2. सेवानिवृत्ति के कुछ समय पश्चात योजना से जुड़ने वाले पेंशनभोगियों को मध्यवर्ती अवधि के लिए अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, इन मामलों में उनके द्वारा रुपये 30/- के प्रवेश शुल्क का भुगतान अपेक्षित है।
3. इसी प्रकार, जिन पेंशनभोगियों ने अपनी क.रा.बी. निगम पी एम एस-2006 की सदस्यता जारी नहीं रखी थी तथा वे योजना में पुनः प्रवेश करना चाहते हैं, तो मध्यवर्ती अवधि के लिए अंशदान का भुगतान नहीं परंतु उन्हें पुनः प्रवेश शुल्क रुपये 30/- का भुगतान करना आवश्यक होगा।

योजना के अंतर्गत नाम दर्ज कराने के अन्य निर्बंधन एवं शर्तें वही रहेंगी। इस पत्र की विषय सामग्री व्यक्तिगत रूप से सभी पेंशनभोगियों तथा अपने क्षेत्र के पेंशनभोगी संघ को भेज दी जाए। यह अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

  
(प्रभा संजी)  
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि: वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

रा.क.स.  
क.रा.बी.  
न.स.स.स.स.

Sh Jaiswal

09/05/18

1843  
03/05/18



HEAD-QUARTERS OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
PANCHDEEP BHAWAN: C.I.G MARG: NEW DELHI

No. D-12/16/1/2017-E-VI-Vol.I

Dated : 3.5.2018

To

1. Ins. Commissioner (NTA) /All Regional Directors/Jt. Directors In-charge
2. D(M)Delhi/ D(M) Noida/ SSMC/ M.S. of ESIC Model Hospitals/ODCs,
3. Director - V / Fin. & A/cs. Br. III, Hqrs. Office.

Sub: *ESIC Pensioners' Medical Scheme, 2006 – Removal of difficulties – Reg.*

Sir,

I am directed to state that as per Instruction No. D-12/16/1/2003-EVI dated 27/6/2008 under ESIC-PMS-2006, ESIC pensioners were given option to become member of the Scheme within a period of six months from the date of their retirement in place of three months as prescribed earlier.

Now, in exercise of Rule 9 of ESIC-PMS-2006, the Director General has approved the following under the Scheme :


1. Pensioners can join ESIC-PMS, 2006 immediately on retirement or at any time thereafter.
2. Pensioners joining the Scheme sometime after retirement are not required to pay the contribution for the intervening period. However, in such cases they shall be required to pay an admission fee of Rs. 30/-.
3. Similarly, pensioners who had discontinued their ESIC-PMS-2006 membership and want to be readmitted to the Scheme, shall not be required to pay the contribution for the intervening period, but a re-admission fee of Rs. 30/-.

Other terms and conditions for enrollment under the Scheme shall remain the same. The contents of this letter may be sent to all pensioners individually and the pensioners association of your region. This may also be uploaded on your website.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Hindi version will follow.

Yours faithfully,

  
( Prabha Saini )  
Asst. Director

Copy to : W.C.M. Hqrs. office for uploading in the website.

~~Sh. Jaiswal~~  
22/11  
03/05/18  
Sh. Jaiswal  
03/05/18